

समय से कहीं ज्यादा कीमती है आपकी जिन्दगी



ट्रेन जितनी दिखती है उससे ज्यादा तेज चलती है और आपके सोचने से पहले समपार फाटक पर पहुँच सकती है

प्रहरीविहीन लेवेल
क्रॉसिंगों को पार करते
समय आवश्यक नियमों
का अनुसरण करें

रुकें

देखें दोनों तरफ

सुनें आने वाली ट्रेन/ट्रॉली की आवाज

पार करें जब कोई भी ट्रेन/ट्रॉली
न आ रही हो

याद रखें: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 131 एवं भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 161 के अंतर्गत प्रहरीविहीन लेवेल क्रॉसिंग को असावधानी पूर्वक पार करना एक दण्डनीय अपराध है।

लेवेल क्रॉसिंग गेटों पर

कभी भी बंद समपार फाटक के नीचे से
पार करने की कोशिश न करें और
अपना जीवन जोखिम में न डालें

भारतीय रेल अधिनियम 1989 की
धारा 160 के अंतर्गत समपार फाटक को
खोलने / तोड़ने से संबंधित नियमों का
उल्लंघन करना एक दण्डनीय अपराध है।



दक्षिण पूर्व रेलवे

हम रखते हैं आपकी सुरक्षा का ध्यान



अंतर्राष्ट्रीय लेवेल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस का पालन:

3 जून, 2014